



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 571]
No. 571]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 28, 2008/वैशाख 8, 1930
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 28, 2008/VAISAKHA 8, 1930

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2008

का.आ. 1028(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श करते हुए केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियमावली, 1972 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) संशोधन नियमावली, 2008 है।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54 में,

क. उप नियम (6) के परन्तुक में—

(क) खण्ड (iv) में “सिविल सर्जन के रैंक के बराबर के रैंक का एक चिकित्सा अधिकारी” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

‘एक चिकित्सा बोर्ड जिसमें एक चिकित्सा अधीक्षक

अथवा किसी संस्था का प्राचार्य अथवा निदेशक अथवा अध्यक्ष अथवा उसका कोई नुमाइंदा अध्यक्ष के रूप में होगा और इसमें दो अन्य सदस्य शामिल होंगे जिनमें से कम से कम एक मानसिक दुर्बलता सहित मानसिक अथवा शारीरिक अशक्तता के क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञ होगा’;

(ख) खण्ड (v) में, “प्रत्येक तीन वर्ष पर सिविल सर्जन के रैंक के बराबर के रैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘एक चिकित्सा बोर्ड जिसमें एक चिकित्सा अधीक्षक अथवा किसी संस्थान का प्राचार्य अथवा निदेशक अथवा अध्यक्ष अथवा उसका कोई नुमाइंदा अध्यक्ष के रूप में होगा और इसमें दो अन्य सदस्य शामिल होंगे जिनमें से कम से कम एक मानसिक दुर्बलता सहित मानसिक अथवा शारीरिक अशक्तता के क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञ होगा, द्वारा जारी किया प्रमाण पत्र, यदि अशक्तता स्थायी है तो एक बार प्रस्तुत करेगा और यदि अशक्तता अस्थायी है तो प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार प्रस्तुत करेगा’;

ख. उप-नियम (12) के खण्ड (ग) में ‘सिविल सर्जन के रैंक के बराबर के रैंक का चिकित्सा अधिकारी’ शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

‘एक चिकित्सा बोर्ड जिसमें एक चिकित्सा अधीक्षक अथवा किसी संस्थान का प्राचार्य अथवा निदेशक अथवा अध्यक्ष अथवा उसका कोई नुमाइंदा अध्यक्ष के रूप में होगा और इसमें दो अन्य सदस्य शामिल होंगे जिनमें से कम से कम एक मानसिक दुर्बलता सहित मानसिक

अथवा शारीरिक अशक्तता के क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञ होगा';

[सं. 1/18/01-पी एण्ड पी डब्ल्यू (ई)]

रजनी राजदान, सचिव (पेंशन तथा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत)

टिप्पणी : केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियमावली, 1972; दिनांक 1 अप्रैल, 1972 की संख्या का.आ. 943 के अंतर्गत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई :-

- (1) सं. का.आ. 254, दिनांक 4 फरवरी, 1989
- (2) सं. का.आ. 970, दिनांक 6 मई, 1989
- (3) सं. का.आ. 2467, दिनांक 7 अक्टूबर, 1989
- (4) सं. का.आ. 899, दिनांक 14 अप्रैल, 1990
- (5) सं. का.आ. 1454, दिनांक 26 मई, 1990
- (6) सं. का.आ. 2329, दिनांक 8 सितम्बर, 1990
- (7) सं. का.आ. 3269, दिनांक 8 दिसम्बर, 1990
- (8) सं. का.आ. 3270, दिनांक 8 दिसम्बर, 1990
- (9) सं. का.आ. 3273, दिनांक 8 दिसम्बर, 1990
- (10) सं. का.आ. 409, दिनांक 9 दिसम्बर, 1991
- (11) सं. का.आ. 464, दिनांक 16 फरवरी, 1991
- (12) सं. का.आ. 2287, दिनांक 7 सितम्बर, 1991
- (13) सं. का.आ. 2740, दिनांक 2 नवम्बर, 1991
- (14) सं. सा.का.नि. 677, दिनांक 7 दिसम्बर, 1991
- (15) सं. सा.का.नि. 399, दिनांक 1 फरवरी, 1992
- (16) सं. सा.का.नि. 55, दिनांक 15 फरवरी, 1992
- (17) सं. सा.का.नि. 570, दिनांक 19 दिसम्बर, 1992
- (18) सं. का.आ. 258, दिनांक 13 फरवरी, 1993
- (19) सं. का.आ. 1673, दिनांक 7 अगस्त, 1993
- (20) सं. सा.का.नि. 449, दिनांक 11 सितम्बर, 1993
- (21) सं. का.आ. 1984, दिनांक 25 सितम्बर, 1993
- (22) सं. सा.का.नि. 389(अ), दिनांक 18 अप्रैल, 1994
- (23) सं. का.आ. 1775, दिनांक 19 जुलाई, 1997
- (24) सं. का.आ. 259, दिनांक 30 जनवरी, 1999
- (25) सं. का.आ. 904(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2000
- (26) सं. का.आ. 717(अ), दिनांक 27 जुलाई, 2001
- (27) सं. का.आ. 4000, दिनांक 28 दिसम्बर, 2002
- (28) सं. का.आ. 860(अ), दिनांक 28 जुलाई, 2003
- (29) सं. का.आ. 1483(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2003 और
- (30) सं. का.आ. 1487(अ), दिनांक 14 अक्टूबर, 2005 ।

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC
GRIEVANCES AND PENSIONS**

(Department of Pension and Pensioners' Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2008

S.O. 1028(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 and clause (5) of Article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to

persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Pension) Amendment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, in rule 54,—

A. in sub-rule (6), in the provision,—

(a) in clause (iv), for the words 'a medical officer not below the rank of a Civil Surgeon', the following shall be substituted, namely :—

'a Medical Board comprising of a Medical Superintendent or a Principal or a Director or Head of the Institution or his nominee as Chairman and two other members, out of which at least one shall be a Specialist in the particular area of mental or physical disability including mental retardation';

(b) in clause (v), for the words, "shall produce every three years a certificate from a medical officer not below the rank of a Civil Surgeon", the following shall be substituted, namely:—

"shall produce a certificate, from a Medical Board comprising of a Medical Superintendent or a Principal or a Director or Head of the Institution or his nominee as Chairman and two other members, out of which at least one shall be a Specialist in the particular area of mental or physical disability including mental retardation, once, if the disability is permanent and if the disability is temporary, once in every five years.";

B. in sub-rule (12), in clause (c), for the words "a medical officer not below the rank of a Civil Surgeon", the following shall be substituted, namely :—

"a Medical Board comprising of a Medical Superintendent or a Principal or a Director or Head of the institution or his nominee as Chairman and two other members, out of which at least one shall be a Specialist in the particular area of mental or physical disability including mental retardation".

[No. 1/18/01-P&PW(E)]

RAJNI RAZDAN, Secy. (Pension, AR & PG)

Note:—The Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 were published in the Gazette of India vide number S.O. 934 dated the 1st April, 1972 and subsequently amended as follows :—

- (1) No. S.O. 254, dated 4th February, 1989
- (2) No. S.O. 970, dated 6th May, 1989

- (3) No. S.O. 2467, dated 7th October, 1989
- (4) No. S.O. 899, dated 14th April, 1990
- (5) No. S.O. 1454, dated 26th May, 1990
- (6) No. S.O. 2329, dated 8th September, 1990
- (7) No. S.O. 3269, dated 8th December, 1990
- (8) No. S.O. 3270, dated 8th December, 1990
- (9) No. S.O. 3273, dated 8th December, 1990
- (10) No. S.O. 409, dated 9th December, 1991
- (11) No. S.O. 464, dated 16th February, 1991
- (12) No. S.O. 2287, dated 7th September, 1991
- (13) No. S.O. 2740, dated 2nd November, 1991
- (14) No. G.S.R.677, dated 7th December 1991
- (15) No. G.S.R.399, dated 1st February, 1992
- (16) No. G.S.R.55, dated 15th February 1992
- (17) No. G.S.R. 570, dated 19th December 1992
- (18) No. S.O. 258, dated 13th February 1993
- (19) No. S.O. 1673, dated 7th August, 1993
- (20) No. G.S.R. 449, dated 11th September, 1993
- (21) No. S.O. 1984, dated 25th September, 1993
- (22) No. G.S.R.389(E), dated 18th April, 1994
- (23) No. S.O. 1775, dated 19th July, 1997
- (24) No. S.O. 259, dated 30th January, 1999
- (25) No. S.O. 904 (E), dated 30th September, 2000
- (26) No. S.O. 717 (E), dated 27th July, 2001
- (27) No. S.O. 4000, dated 28th December, 2002
- (28) No. S.O. 860(E), dated 28th July, 2003
- (29) No. S.O. 1483(E), dated 30th December, 2003 and
- (30) No. S.O. 1487(E), dated 14th October, 2005.